संख्या-82/2026-1152- 001-5-9099-17-2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2026

विषय:- ई0-विन नेटवर्क क्रियान्वयन के लिये नवीन मॉग के अन्तर्गत शतप्रतिशत राज्यांश व्यवस्था में अनुदान संख्या-35 के मुख्य लेखाशीर्षक-2211001030400 के 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत ई0-विन नेटवर्क क्रियान्व्यन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/यू0आई0पी0/ई-विन/2026-27/2411, दिनांक 22.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई0-विन नेटवर्क क्रियान्व्यन हेतु के लिये नवीन मॉग के अन्तर्गत शतप्रतिशत राज्यांश व्यवस्था में अनुदान संख्या-35 के मुख्य लेखाशीर्षक-2211001030400 के 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत ई0-विन नेटवर्क क्रियान्व्यन हेतु धनराशि रू0 5,00,00,000/- (रूपये पांच करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र0वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र0वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्र0वि0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 2211001030400 ई-वित्त मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी की निरन्तरता मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-73/दस-2026-27, दिनांक 21 अगस्त, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-82/2026/1152(1)/ 001-5-9099-17-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।

2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।

4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।

8- महाप्रबन्धक, आर0आई0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।